जन वाचन आंदोलन

जनवाचन आंदोलन का मकसद है। किताबों को गाँव-गाँव ले जाना, इन किताबों को नवपाठकों के बीच पढ़कर सुनाना और पढ़वाकर सुनना। गाँव की जनता के पास आज भी पढ़ने-लिखने के लिए स्तरीय किताबें नहीं हैं और जो हैं भी वे बेहद महँगी हैं। भारत ज्ञान विज्ञान समिति ग्रामीण जन तक कम कीमत और सरल भाषा में देशभर के मशहूर लेखकों की किताबें पहुँचाना चाहती है, ताकि गाँव-गाँव में जन वाचन, पढ़ाई और पुस्तकालय संस्कृति पैदा हो सके। संपूर्ण साक्षरता अभियान से जो नवपाठक निकलकर सामने आए हैं, वे अपने साक्षरता के अर्जित कौशल को बनाए रख सकें, उनके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का स्तर बढ़े और वे जागरुक होकर अपने बुनियादी हकों की लड़ाई के लिए लामबंद हो सकें, यह इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए गाँव के लोग आगे आएँ, इसके लिए भी इस तरह की चेतना का विकास जरूरी है। साक्षरता केवल अक्षर सीखने का काम नहीं है, यह पूरी दुनिया को जानने का काम है।

भारत ज्ञान विज्ञान समिति
मूल्य : 10 रुपये

पुलिस और हम

विष्णु नागर

भारत ज्ञान विज्ञान समिति

पुलिस और हमः विष्णु नागर

Police Aur Ham : Vishnu Nagar

नवपाठकों के लिए भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित

© सर्वाधिकार सुरक्षित
भारत ज्ञान विज्ञान समिति

पुस्तकमाला संपादकः असद ज़ैदी और विष्णु नागर
कार्यकारी संपादकः संजय कुमार
Series Editor : Asad Zaidi and Vishnu Nagar
Executive Editor : Sanjay Kumar

रेखांकनः पंकज झा
लेजर ग्राफिक्सः अभय कुमार झा

प्रकाशन वर्षः 1996,1999, 2003

इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा देशभर में चलाए जा रहे जन वाचन आंदोलन के तहत किया गया है ताकि लोगों में पढ़ने-लिखने की आदत पैदा हो सके। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गांव के पाठकों को सस्ती और सरल भाषा में देश के मशहूर रचनाकर्मियों द्वारा लिखी गई उत्कृष्ट पुस्तकें उपलब्ध करवाना है। खासकर उन नवपाठकों के लिए जो देशभर में चलाए गए संपूर्ण साक्षरता अभियान से निकलकर सामने आए हैं।

मूल्यः10 रुपये

Published by ***Bharat Gyan Vigyan Samithi****, Basement of Y.W.A. Hostel No. II, G-Block, Saket , New Delhi - 110017, Phone : 011 - 26569943, Fax : 91 - 011 - 26569773,* **email: bgvs@vsnl.net**

विष्णु नागर

पुलिस और हम

पुलिस से क्या सबको डरना चाहिए?

बिल्कुल नहीं। वे डरें जो गलत काम करते हैं। सब क्यों डरें? पुलिस का काम डराना नहीं है। पुलिस का काम हमारी मदद करना है। हमारी हिफाजत करना है।

लेकिन डर तो लगता है। पुलिस जो चाहे कर सकती है।

नहीं कर सकती। कानून-कायदे हमारे लिए हैं तो पुलिस के लिए भी हैं। गलत काम की सज़ा हमें हो सकती है तो पुलिस को भी हो सकती है।

लेकिन होती तो नहीं?

होती है। ऊँचे अधिकारी से शिकायत करें तो होती है। शिकायत भी नहीं सुनी जाये तो आन्दोलन करने पर होती है।

एक दिन मेरे पड़ोसी के घर पुलिस आई। उसने कहा कि आपके

खिलाफ शिकायत है। चलिए पुलिस थाने। आपको गिर तार किया जाता है।

कर सकती है इस तरह पुलिस?

सिर्फ शिकायत पर पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।

उसे बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार कर रही है। पुलिस को ज़ुर्म बताना पड़ेगा। वारंट दिखाना होगा।

लेकिन वह बिना वारंट के भी तो गिरफ्तार कर लेती है?

कोई बड़ी बात हो तो कर भी सकती है। लेकिन तब आप वकील को बुला सकते हैं। लेकिन वकील को जल्दी आना पड़ेगा। यह नहीं कि वकील जब चाहे, आए। पुलिस उसके इंतज़ार में घंटों बैठी नहीं रहेगी।

क्या हर एक को हथकड़ी लगाना ज़रूरी है?

कतई नहीं। हरेक को हथकड़ी लगाना ग़ैरकानूनी है। हथकड़ी केवल किसी बदनाम अपराधी को लगाई जा सकती है। उसे भी लग सकते हैं जिसके कि भागने का डर हो। यह भी बता दें कि पहचानवालों और रिश्तेदारों को भी आप अपने साथ थाने ले जा सकते हैं। पुलिस उन्हें साथ चलने से रोक नहीं सकती।

कितने दिन पुलिस किसी को गिर फ्तार करके थाने में रख सकती है?

सिर्फ चौबीस घंटे। केवल एक दिन। इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उस आदमी को पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन पुलिस को करना होगा। वह छोड़ने को कहे तो छोड़ना पड़ेगा।

मेरे ताऊ को पुलिस हिरासत में ले गई। उनको खूब मारा-पीटा। क्या किसी को शक में मारा-पीटा जा सकता है ?

नहीं। पुलिस की हिरासत में सताना, मारना-पीटना या किसी भी तरह का जुल्म करना अपराध है। ऐसा हो तो, इसकी तुरंत डाक्टरी

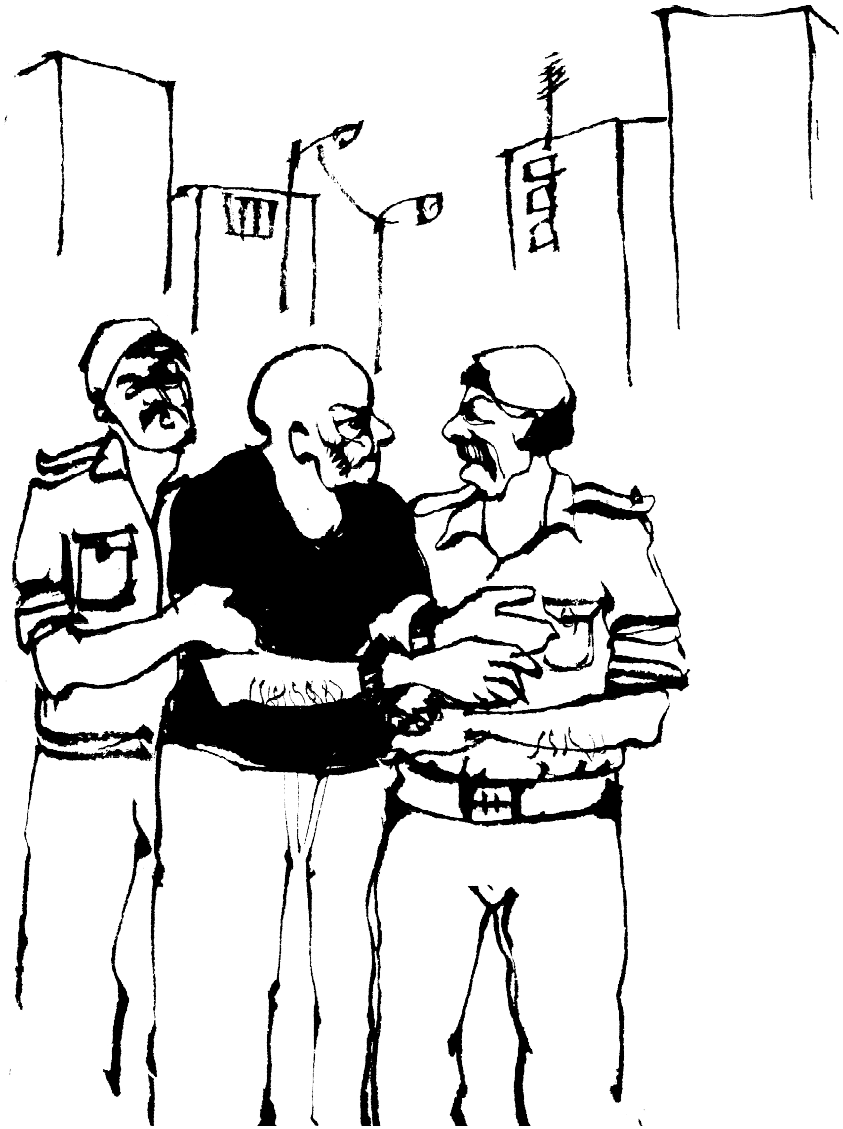

जाँच करानी चाहिए। चोट लगी हो तो डाक्टर से इसका प्रमाणपत्र लें। इसके आधार पर मजिस्ट्रेट से आप शिकायत कर सकते हैं।

पुलिस कुछ लोगों को गिर तार करके फिर जमानत पर क्यों छोड़ देती है?

कुछ अपराधों पर पुलिस जमानत लेकर छोड़ सकती है।

गिरफ्तार करते समय पुलिस को बताना पड़ता है कि इस जुर्म में पुलिस उसे जमानत पर छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती है। पुलिस नहीं बताये तो यह बात वकील से पूछ सकते हैं। जिस जुर्म की जमानत मिल सकती है, उसके लिए जमानत लेना हर आदमी का कानूनी हक है।

क्या जमानत पर छूटने के लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं?

बिल्कुल भी नहीं। पुलिस जमानत का एक फार्म देती है। उस पर जमानत की रकम लिखनी पड़ती है। अगर गिरफ्तार होने वाला जमानत की शर्त तोड़ता है तो रकम देनी पड़ती है। पहले नहीं।

क्या पुलिस जमानत पर न छोड़े तो कोई छूट ही नहीं सकता?

नहीं। ऐसा नहीं है। तब मजिस्ट्रेट को जमानत की अर्जी देनी पड़ती है। जुर्म को देखकर मजिस्ट्रेट तय करता है कि वह जमानत दे या न दे।

कई बार पुलिस कोरे कागज पर दस्तखत करा लेती है। बाद में लिख देती है कि हमने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो क्या सजा हो जायेगी उस आदमी को?

सबसे पहले तो कभी भी कोरे कागज पर दस्तखत करना ही नहीं चाहिए। पुलिस आपसे किसी कोरे कागज पर दस्तखत नहीं करा सकती। वैसे डरा-धमकाकर या लालच देकर पुलिस दस्तखत करा

ले तो भी डरने की बात नहीं। मजिस्ट्रेट को यह बात बता देनी चाहिए। मजिस्ट्रेट के सामने सही बयान देना चाहिए। पुलिस के कहने में नहीं आना चाहिए।

एफ. आई. आर. क्या बला होती है?

एफ. आई. आर. का मतलब है थाने में किसी अपराध की रिपोर्ट लिखवाना। दीवानी मामलों को छोड़कर पुलिस को हर अपराध की एफ. आई. आर. लिखनी पड़ती है।

क्या पुलिस जैसे चाहे उस तरह एफ. आई. आर. लिख सकती है?

नहीं। हम खुद लिखकर दे सकते हैं। इसे लिखने का कोई खास तरीका नहीं है। जिस तरह चाहें लिखकर दे सकते हैं। अगर लिखना नहीं आता तो पुलिस को सब बातें बता दें। पुलिस उसे लिखकर आपको पढ़कर सुनाएगी। शिकायत ठीक लिखी हो तो उस पर अपने दस्तखत कर दें। वरना मना कर दें। फिर से ठीक से लिखने के लिए पुलिस से कहें। फिर दस्तखत करें।

और हाँ, एफ. आई. आर. कि एक कापी भी पुलिस से ज़रूर ले लें। इसे लेना आपका हक है और इसे देना पुलिस की जिम्मेदारी है।

क्या एफ. आई. आर. लिखवाने के लिए किसी गवाह को भी ले जा सकते हैं?

बिल्कुल ले जा सकते हैं। कई बार आपको शक हो सकता है कि जिसकी शिकायत कर रहे हैं, वह बड़ा आदमी है, बड़ी पहुंचवाला है। इस वजह से पुलिस आपसे बुरा बर्ताव कर सकती है। ऐसी हालत में आप अपनी हिफाजत के लिए किसी को ले जा सकते हैं।

पुलिस इससे आपको रोक नहीं सकती।

मान लो कोई घटना आज हुई। किसी वजह से आज रिपोर्ट नहीं लिखा पाये। कल गये या परसों गये। क्या पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देगी?

नहीं करेगी। आपको सिर्फ यह लिखवाना पड़ेगा कि रिपोर्ट लिखवाने में देरी क्यों हुई? किस वजह से हुई?

क्या किसी औरत को पुलिस पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले जा सकती है?

बिल्कुल नहीं ले जा सकती। 15 साल से कम उम्र के लड़कों और औरतों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने नहीं ले जा सकती। किसी भी औरत से उसके घर पर ही सवाल-जवाब किये जा सकते हैं।

क्या पुलिस कभी भी पूछताछ के लिए किसी के घर पर आ सकती है?

आ तो सकती है। लेकिन आपको लगता है कि पुलिस आपको तंग करने के लिए ऐसा कर रही है तो आप मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट पुलिस के आने का समय तय करेगा।

मान लो कि पुलिस किसी औरत के घर आये। कहे कि यह नशीली चीज़ें बेचने का धंधा करती है। हम इसके शरीर की तलाशी लेंगे। तो क्या ले सकती है?

किसी औरत की तलाशी कोई महिला पुलिस अफसर ही ले सकती है। कोई मर्द पुलिस अफसर किसी महिला के शरीर की तलाशी नहीं ले सकता। मर्द पुलिस अफसर तलाशी देने को कहे तो मना किया जा सकता है। हाँ, वह मकान या दुकान की तलाशी ले सकता है।

मान लो पुलिस अपने साथ खुद नशीली चीज ले आये। घर

में रख दे। फिर तलाशी करके कहे कि यह आपके घर से मिली। ऐसी सूरत में क्या करें?

तलाशी लेने के पहले आप पुलिस की भी तलाशी ले सकते हैं। यह आपका हक है। इसके अलावा तलाशी या बरामदगी के वक्त पड़ोस में रहने वाले दो इज्जतदार लोगों का वहाँ होना ज़रूरी होता है। तलाशी का पंचनामा पुलिस को बनाना पड़ता है। अगर कोई चीज पुलिस जब्त करे, तो पंचनामे में पुलिस को लिखना पड़ता है। इस पंचनामे पर तलाशी के वक्त मौजूद दो आदमियों के दस्तखत होना

ज़रूरी होता है। इस पंचनामे की एक कापी भी पुलिस आपको देगी। न दे तो उससे माँग सकते हैं।

मान लो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में उसे हाजिर किया। तब क्या वह किसी की मदद ले सकता है?

बिल्कुल ले सकता है। वकील की मदद ले सकता है। अगर वह गरीब है, वकील की फीस नहीं दे सकता है तो अदालत उसके लिए वकील भी मुकर्रर कर देगी। इसके लिए अदालत को या वकील को एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। सरकार के खर्चे पर मुकदमा लड़ा जाता है।

क्या किसी औरत को मर्दों के साथ हिरासत में रखा जा सकता है?

नहीं रखा जा सकता है। मर्दों को अलग रखना होता है, औरतों को अलग। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो इसकी माँग की जा सकती है। अगर वहाँ औरतों का अलग कमरा नहीं है तो दूसरे पुलिस थाने में भेजने की माँग करनी चाहिए। औरत को अपनी गिरफ्तारी के समय पुलिस थाने में महिला-पुलिस रखने की माँग भी करनी चाहिए। यह उसका हक है।

❑❑❑❑